

प्रदेश में मोबाइल टावर लगाने तथा ऑप्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19 जनवरी, 2021 को अपरान्ह 5:00 बजे से आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति : संलग्नानुसार।

Zoom के माध्यम से उपस्थिति:-

1. श्री संतोष कुमार राय, सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
2. श्री जे० जेना DG & Others, COAI के प्रतिनिधि।
3. श्री अविनाश व्यास, TAIPA के प्रतिनिधि।

बैठक में उपस्थित सदस्यों को बैठक के निम्नलिखित एजेण्डा बिन्दुओं से अवगत कराया गया तथा उन पर चर्चा की गई :-

- (1) टावर्स की स्थापना हेतु सम्बन्धित भवन का स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध कराने में आ रही कठिनाईयों तथा इस सम्बन्ध में अन्य प्रदेशों में विद्यमान व्यवस्था पर चर्चा।
- (2) चीफ टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर द्वारा भवन निर्माण एवं विकास विधि अध्याय 12 के प्रस्तर-12.1(i) में संशोधन के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा शासनादेश जारी किये जाने की स्थिति।
- (3) ऑप्टिकल फाइबर डालने के लिये भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रति किलोमीटर शुल्क की तुलना में प्रदेश में अत्यधिक शुल्क लिये जाने की समस्या पर विचार, जिसमें अन्य प्रदेशों की स्थिति पर भी विचार किया जायेगा।
- (4) टावर्स की स्थापना हेतु सरकारी तथा प्राधिकरणों के भवनों के लिए किराये की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में चर्चा।

एजेण्डा बिन्दु संख्या (1) : टावर्स की स्थापना हेतु सम्बन्धित भवन का स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध कराने में आ रही कठिनाईयों तथा इस सम्बन्ध में अन्य प्रदेशों में विद्यमान व्यवस्था

चीफ टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि अथवा निर्मित भवनों पर टावर्स की स्थापना हेतु अन्य अभिलेखों के साथ (i) Structural Safety प्रमाण पत्र तथा (ii) Sanctioned Map of the Building on which the Tower is proposed to be installed इत्यादि प्रपत्रों को आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना विकास प्राधिकरणों की नियमावली के अनुसार अनिवार्य है। प्रायः सभी प्रकरणों में भवनों के स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण मोबाइल टावर की स्थापना हेतु अनापत्ति प्राप्त नहीं हो पाती तथा प्राधिकरणों की नियमावली के अनुसार दोनों ही अभिलेखों की आवश्यकता होती है।

उक्त अभ्युक्ति पर DG, COAI द्वारा अवगत कराया गया कि राजधानी दिल्ली में अधिकांश कालोनी अनाधिकृत (Unauthorised) है फिर भी उनमें विद्युत, पानी इत्यादि के कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। क्षेत्र की नगरपालिकाओं द्वारा मोबाइल टावर सर्विस

प्रोवाइडर से यह Undertaking प्राप्त की गई है कि इन अनधिकृत कालोनियों को भविष्य में यदि हटाया जाता है तो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 10 दिन के नोटिस पर अपने उपकरण हटाने होंगे। इस हेतु यद्यपि Authority द्वारा कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है।

DG, COAI द्वारा यह सलाह दी गई कि दिल्ली की भांति ही उत्तर प्रदेश में भी अनधिकृत कालोनियों/ भवनों हेतु सर्विस प्रोवाइडर से यह वचन-पत्र (Undertaking) प्राप्त कर लिया जाये कि भविष्य में अनधिकृत कॉलोनी/ भवन के ध्वस्तीकरण की दशा में 10 दिन की पूर्व सूचना पर उनको अपने उपकरण स्थानान्तरित करने/हटाने होंगे।

इस बिन्दु के सन्दर्भ में TAIPA द्वारा उपलब्ध कराई गई पंजाब तथा उड़ीसा की नीतियों का भी उल्लेख किया गया, जिसमें दोनों ही राज्यों में स्वीकृत मानचित्र की अनिवार्यता नहीं है।

बैठक में चर्चा के दौरान यह बिन्दु उभर कर आया कि यद्यपि यह सम्भावना है कि कुछ मामलों में स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं हों, किन्तु कुछ के पास तो अवश्य उपलब्ध होना चाहिये। सभी आवेदनों में किसी भवन का स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो यह सम्भव नहीं है। अतः सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जिस बिल्डिंग पर मोबाइल टावर लगाया जाना है उसका स्वीकृत मानचित्र दिये जाने में क्या असुविधा है? सर्विस प्रोवाइडर तथा उनकी संस्थाओं TAIPA एवं COAI द्वारा इस हेतु गम्भीर प्रयास नहीं किये गये/जा रहे हैं।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को प्राप्त आवेदनों में प्रस्तावित स्थलों पर मोबाइल टावर्स की स्थापना के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराया गया:-

- (i.) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों में प्रस्तावित स्थल का Site Plan, Survey Location, Planner Layout तथा Sanctioned Map of the Building on which the Tower is proposed to be installed. इत्यादि अभिलेख नहीं होने के कारण प्राधिकरण की Compounding Policy के अन्तर्गत Illegal Construction की श्रेणी में आते हैं। अतः इस अवस्था में निर्मित भवनों पर मोबाइल टावर की स्थापना के कारण प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार ऐसे भवनों का भविष्य में Demolition Order पारित हो सकता है।
- (ii.) Land use का परीक्षण कर भूमि के ऊपर अनुमन्यता के अनुसार टावर की स्थापना कराई जा सकती है।
- (iii.) प्रस्तावित स्थल का Site Plan, Proper Survey Location, सजरे की रिपोर्ट के अनुसार, Master Plan के अनुसार Location उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

उक्त बिन्दु पर सम्यक विचारोपरान्त बैठक में यह निर्देश दिये गये कि ऐसे प्रकरणों में एक संतुलित दृष्टिकोण रखना उचित होगा।

चूँकि Master Plan के अनुसार भूमि के सजरे Public Domain में नहीं है, अतः आवेदनकर्ताओं द्वारा अपने आवेदनों के साथ Major Land Marks, Site Plan, Major Roads,

Google Earth की Location की Details तथा प्रस्तावित लोकेशन के पोस्टल एड्रेस के साथ आवेदन प्रस्तुत किये जाये जिससे उनके आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित भवन का Structural Safety Certificate भी दिया जाना बाध्यकारी होगा।

अतः शासकीय संस्थायें सम्बन्धित आवेदनकर्ताओं से इस आशय का वचन-पत्र (Undertaking) प्राप्त कर लें कि निर्मित भवन का सत्यापित मैप देने में क्या कठिनाई है अथवा निर्मित भवन illegal नहीं है। भवन के अनधिकृत पाये जाने तथा Demolition आदेश पारित किये जाने पर ध्वस्तीकरण से 10 दिन पूर्व प्राप्त नोटिस के पश्चात स्थल पर स्थित सभी उपकरण विस्थापित कर दिये जायेंगे।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मोबाइल टावर की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ One Time देय शुल्क ₹0 10,000/- नहीं होने के कारण सम्बन्धित शासकीय संस्थाओं द्वारा इनको Process नहीं किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा निर्गत ROW Act के अनुसार मोबाइल टावर की स्थापना के लिये One Time Charges Rs 10,000/- का प्रावधान है। इन्हीं नियमों को राज्य सरकार द्वारा भी अंगीकृत किया गया है।

यद्यपि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय-3 के नियम-9 के उपनियम-5 के अनुसार "भूमि के ऊपर अवसंरचना" अर्थात् मोबाइल टावर स्थापित करने हेतु कम्पनी को प्रति आवेदन के साथ ₹0 10,000/- का प्रशासनिक शुल्क जमा करना आवश्यक है। दूरसंचार विभाग (DOI) के अधिकारियों द्वारा भी इस पर सहमति व्यक्त की गयी।

उक्त के क्रम में TAIPA तथा COAI के प्रतिनिधियों को सूचित किया गया कि पोर्टल पर प्रस्तुत समस्त आवेदनों के सापेक्ष ₹0 10,000/- की फीस जमा की जाये ताकि सम्बन्धित विभागों द्वारा उन पर कार्यवाही की जा सके।

उक्त के अतिरिक्त आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के पत्र दिनांक 05.10.2018 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 को अंगीकृत करते हुये भूमिगत तार और संरचना की स्थापना और रख रखाव के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये हैं।

एजेण्डा बिन्दु संख्या (2) : चीफ टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर द्वारा भवन निर्माण एवं विकास विधि अध्याय 12 के प्रस्तर-12.1(i) में संशोधन के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा शासनादेश जारी किये जाने की स्थिति

इस बिन्दु के बारे में चीफ टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय संस्थाओं/विकास प्राधिकरण के बिल्डिंग बाईलॉज में प्रतिकूल लिख दिया गया है। अवगत कराया गया कि Zoning Regulations में परिवर्तन करने के लिये चीफ टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर द्वारा आवास विभाग को प्रेषित पत्र पर शासन द्वारा कार्यवाही किए जाने से यह समस्या काफी हद तक ठीक हो जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या (3) : ऑप्टिकल फाइबर डालने के लिये भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रति किलोमीटर शुल्क की तुलना में प्रदेश में अत्यधिक शुल्क लिये जाने की समस्या तथा अन्य प्रदेशों की स्थिति पर विचार

अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय-2 के नियम-5 के उपनियम-3 के अनुसार सम्बन्धित विभाग के समक्ष लाइसेन्सी कम्पनी ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु आवेदन के साथ प्रति कि0मी0 रु 1000/- की धनराशि प्रशासनिक व्ययों हेतु जमा करेगी। इसके अतिरिक्त नियम-6 के उपनियम-4 के अनुसार अन्य कोई शुल्क देय नहीं होगा।

पुनः उक्त अधिनियम के अध्याय-2 के नियम-5 के उपनियम-2 (ix) के अनुसार प्रत्येक लाइसेन्सी को भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु आवेदन करते समय पुनर्स्थापना कार्य स्वयं कराने का दायित्व होगा। इस हेतु नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-72/नौ-9-2018-161ज/12, दिनांक 08 फरवरी, 2018 (प्रतिलिपि संलग्न) भी सन्दर्भणीय है जिसका प्रस्तर-5 (3) निम्नवत् उल्लिखित है:-

- (3) अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय-2 के नियम-6 के उपनियम-3 के अनुसार सम्बन्धित विभाग, ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु कम्पनी को पुनर्स्थापना कार्य में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले व्यय के बराबर बैंक गारण्टी जमा करने हेतु माँग पत्र निर्गत करेगा, साथ ही इस अध्याय के नियम-8 के उपनियम-3 के अनुसार यदि विभाग द्वारा ऐसा पाया जाता है कि कम्पनी द्वारा जानबूझकर ओ0एफ0सी0 बिछाने की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो सम्बन्धित विभाग को उपरोक्त बैंक गारण्टी को पूर्ण अथवा कुछ हिस्से को प्रतिसंहरण (Revoke) कर लेने का अधिकार होगा।

निर्देश दिये गये कि सभी विभागों द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 15.11.2016, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है, के अनुसार ही शुल्क प्रभारित किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या (4) : टावर्स की स्थापना हेतु सरकारी तथा प्राधिकरणों के भवनों के लिए किराये की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में चर्चा

सरकारी भूमि और भवनों पर अन्य राज्यों यथा पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर तथा बिहार में प्रभारित आवर्तक शुल्क का विवरण बैठक में उपस्थित सदस्यों को प्रदर्शित किया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि निजी सम्पत्तियों पर टावर की स्थापना के उपरान्त शासकीय संस्थाओं द्वारा कोई रेन्टल चार्जस प्रभारित नहीं किये जा रहे हैं।

मोबाइल टावर्स की स्थापना हेतु सरकारी तथा प्राधिकरणों के भवनों के लिए किराये की दरों में प्रदेश में अत्यधिक शुल्क लिये जाने की समस्या के सम्बन्ध में TAIPA एवं COAI के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में प्राइवेट भूमि तथा निर्मित भवन पर टेलिकाम टावर की स्थापना के उपरान्त सम्बन्धित शासकीय संस्था द्वारा Annual Charges प्रभारित किये जाते हैं। हाल ही में नगरपालिका परिषद दादरी, गौतमबुद्धनगर द्वारा टावर स्थापना नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि-2014 दिनांक 31.01.2015 का उल्लेख करते हुये (पत्र संलग्न) प्रत्येक टावर पर टावर की प्रतिभूति धनराशि रु 50,000/- तथा वार्षिक शुल्क रु 20,000/- प्रभारित कर कुल धनराशि रु 1,90,000.00 की माँग की गयी है। यद्यपि अन्य राज्य पंजाब, उड़ीसा, जम्मू एण्ड कश्मीर, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश इत्यादि में निजी भूमि तथा भवन पर टावर स्थापना के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त चार्जस नहीं है। अतः उत्तर प्रदेश में भी सभी शासकीय विभागों/स्थानीय नियामक संस्थाओं द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क की माँग नहीं की जानी चाहिये।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि नगर विकास विभाग द्वारा अन्य राज्यों में प्रचलित प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश में भी वार्षिक शुल्क हेतु दरें निर्धारित कर दी जाये जिससे सम्पूर्ण प्रदेश में एकरूपता बनी रहे। इस आशय का एक पत्र नगर विकास विभाग को प्रेषित कर दिया जाये तथा उनसे अनुरोध कर लिया जाये कि उनके द्वारा स्थानीय निकाय निदेशालय (Directorate of Local Bodies) के अधीनस्थ सभी नगर निगमों/नगर पालिकाओं को समान रूप से वार्षिक दरें निर्धारित करते हुये पत्र प्रेषित कर दिया जाये।

बैठक में उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या:-246/78-1-2021-45आईटी0/2016 टीसी (ए)
लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2021

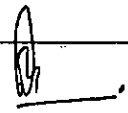
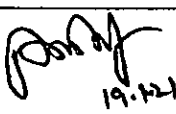
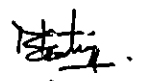
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. दूर संचार विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा।
4. चीफ टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
6. डायरेक्टर जनरल, टाईपा, नई दिल्ली।
7. DG, COAI
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. निजी सचिव, विशेष सचिव (आर0/एन0), आईटी एवं इले0 विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. इन्वेस्ट इण्डिया, यूपी (उद्योग बन्धु), लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

मोबाइल फोन टावर लगाने तथा इण्टरनेट के लिए फाइबर केबिल डालने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण में आ रही समस्याओं के निराकरण के संबंध में विचार-विमर्श हेतु अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19 जनवरी, 2021 को अपरान्ह 05:00 बजे से लोक भवन, सी0-ब्लॉक, प्रथम तल स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत बैठक में उपस्थित अधिकारीगण:-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाइल नं0 / ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1	POORAN MAL	Dy Director General	DOT	9415261244	
2	YATISH KATHERA	Dy. D. G.	DoT	9433399901	
3	PRADEEP PAYAL	Director (R-1)	DoT	9868134568	 19.1.21
4	AZAM SIDDIQI	DIRECTOR (R-2)	DOT	9113464360	
5	Kamal Shukla	Project Coordinator UPLC	UPLC	9794644534	
6	NILESH SINHA KATIYAR	Town Planner. Town & Country Plg. Deptt.	Town & Country Planning Deptt.		
7	Bhawankumar	DGM, UPLC	UPLC		
8					
9					
10					